Hardoi - Mallawan

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

पत्रांकः– 254/C-1/10. दिनांक 09/02/2010.

सेवा में,

रियालन्स जियों इन्फोकाम लि0
रोहतास (क) ट्रीडेन्ट, 2 फ्लोर
10 राना प्रताप मार्ग
लखनऊ–226001

विषयः– बिलग्राम–उन्नाव इलाहाबाद राज्य मार्ग–38 के चैनेज 0.00 से 24.00 एवं बिलरायां–पनवारी राज्य मार्ग–21 के चैनेज 190.00 से 199.00 तक कुल लम्बाई 33.00 किमी0 में अण्डरग्राउन्ड आप्टिकल फाइबर केबिल की लाइन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र संख्या 127/सी–1/18 दि0 20.01.18 द्वारा मांगी धरोहर धनराशि बैंक गारन्टी संख्या 0541बी.जी.आर.316218 रू0 33,00,000.00 लाख दि0 01.01.2018

उपरोक्त विषयक पत्र में वर्णित निम्नलिखित मार्ग के किनारे आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अधीक्षण अभियन्ता उ0वृ0 लो0नि0वि0 उन्नाव द्वारा अनापत्ति पत्र में दी गयी निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

क0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)
1	बिलग्राम–उन्नाव इलाहाबाद राज्य मार्ग– 38 चैनेज 0.00 से 24.00 किमी0 एवं बिलरायां–पनवारी राज्य मार्ग–21 के चैनेज 190.00 से 199 कुल लम्बाई 33.00 किमी0	33.00 किमी0

1. एच0डी0डी0 मेथड से ही मार्ग पर केबिल डालने का कार्य किया जाये।
2. केबिल डालने का कार्य मार्ग की सतह से 2.00 मी0 गहराई पर किया जाये तथा केबिल मार्ग के मध्य से 15.00 मी0 दूरी पर डाला जाये
3. यदि ऐसा करने लो0नि0वि0 या किसी अन्य विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ का होगा।
4. यदि केबिल डालते समय कोई दुर्घटना होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ का होगा।
5. मार्गो पर केबिल डालने के समय आवश्यक मार्ग दर्शक तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्य रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ द्वारा कराये जायेगें एवं कार्य करते समय यातायात को कोई असुविधा न हो।
6. रोड कटिंग के द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने की पूर्ण जिम्मेदारी रोड कटिंग करने वाले रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ का होगा।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य होने पर अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस पर होने वाला व्यय रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ को स्वयं वहन करना होगा।
8. यह अनुमति केवल तीन माह के लिये अनुमन्य होगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

पत्रांकः–
दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय नि0ख0–2,लो0नि0वि0 हरदोई (मु0–बिलग्राम)।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0), नि0ख0–2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0–बिलग्राम)

विनय जोशी (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

(1) Parcli - Rasulpur (2) Hardi - Mallawan

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
हरदोई

पत्रांक- 310 / 19 MG / 18 दिनांक– 09.02.2018

सेवा में,

रिलायन्स जिओ इन्फोकाम लि0
रोहतास 'के' ट्राईडेन्ट, द्वितीय तल,
10 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
उ0प्र0–226001

विषयः– लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–आर.जे.आई.एल./ओ.एफ.सी./एन.एल.डी./ईस्ट/यू.पी./बी.जी./73 दि0 06.02.2018

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित मार्गों के किनारे एच.डी.डी. विधि द्वारा आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति चाही गयी है। इस हेतु आप द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 द्वारा निर्गत बैंक गारन्टी संख्या–0541 बी.जी.आर. 0317018 दिनांक 31.01.2018 रू0 1056200.00 (रू0 दस लाख छप्पन हजार दो सौ मात्र) की इस कार्यालय में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जमा कर दी गयी है।

1. बिलरायां पनवारी राज्यमार्ग संख्या–21 किमी0 174 से 190 तक
2. शाहाबाद पाली सैदपुर मार्ग किमी0 14, 15, 16, 17
3. शाहाबाद पाली मार्ग से कछेलिया शंकरपुर रसूलपुर मार्ग किमी0 1 से 6

उपरोक्त मार्गों पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. एच0डी0डी0 विधि द्वारा ही मार्ग के किनारे केबिल डालने का कार्य किया जाये एवं ग्राउन्ड लेबिल से कम से कम दो मी0 की गहराई पर केबिल डाला जाये। कार्य पूरा होने के 72 घण्टे के अन्दर स्थल मूलस्थिति में ला दिया जाये।
2. कमांक 1 पर अंकित मार्ग राज्यमार्ग है। अतः इसकी मध्यरेखा से 15 मी0 की दूरी के बाद खुदाई का कार्य किया जाये। कमांक 2 पर अंकित मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। इस मार्ग की मध्यरेखा से 11 मी0 दूरी के बाद ही खुदाई का कार्य किया जाये। कमांक 3 पर अंकित मार्ग ग्रामीण मार्ग है। इस मार्ग की मध्य रेखा से 7.00 मी0 की दूरी के बाद ही खुदाई करके केबिल डाला जाये।
3. रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेट्स व रात्रि में हाइलोजन लगाये जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. केबिल डालने से यदि लो0नि0वि0 या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
5. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
6. भविष्य में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु यदि केबिल को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता होती है तो आपको केबिल स्थानान्तरित करना होगा एवं इस पर होने वाला व्यय आपको स्वयं वहन करना होगा।
7. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरूद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. यह अनुमति केवल एक माह के लिए अनुमन्य होगी।

9.2.2018
(मन्नी लाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0,
हरदोई

पत्रांक– / दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य को दी हुई शर्तों के अनुरूप ही करने दिया जाये।
2. श्री मोहम्मद कामरान/श्री गोपीचन्द/श्री महेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य को दी हुई शर्तों के अनुरूप ही करने दिया जाये।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 हरदोई पत्रावली हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
हरदोई

E:A-O.L.\Road Cutting-33

विनय जोशी (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ